संख्या-04/2015/90/इक्कीस-उर्दू-2-2015 (170 (21)/2005)

प्रेषक,

किशन सिंह अटोरिया,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक,(माध्यमिक)
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

भाषा (उर्दू) अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 18 दिसम्बर,2015

विषयः- उर्दू की वैकल्पिक प्रवीणता परीक्षा वर्ष 2015-16 के संचालन हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए उर्दू की वैकल्पिक प्रवीणता परीक्षा सम्पन्न कराने हेतु राज्यपाल महोदय रू0 2,50,000/-(रू0 दो लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने एंव व्यय हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त धनराशि शासन के निर्देशानुसार आपके माध्यम से रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाएं उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा व्यय की जायेगी और परीक्षा संबंधी समस्त औपचारिकताओं के पूर्ण होने एंव पुरस्कार वितरण के पश्चात पूर्ण धनराशि का लेखा-जोखा निर्धारित प्रारूप में उपभोग प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाएगा।

3- उक्त धनराशि पर वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय-16-ए- केअन्तर्गत निहित प्राविधान लागू होंगे।

4- उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-39 के अधीन लेखा शीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-आयोजनेत्तर -05-भाषा विकास-102-आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा साहित्य का संवर्धन-06-राज्य कर्मचारियों को उर्दू की दक्षता परीक्षा पास करने पर पुरस्कार की योजना -20- सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-7-1143/दस-15 दिनांक 15 दिसम्बर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(किशन सिंह अटोरिया)
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या -04/2015/90(1)/इक्कीस-उर्दू-2-2015(170 (21)/2005) तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (जनरल एण्ड सोशल) सेक्टर आडिट, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

3- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

4- कोषाधिकारी, इलाहाबाद।

5- सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश/रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाएं उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि व्यय का विवरण शिक्षा निदेशक (मा0) के माध्यम से शासन को प्रेषित किये जाये।

6- उप शिक्षा निदेशक (उर्दू) उत्तर प्रदेश लखनऊ।

7- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-7

8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

9- वरिष्ठ मुख्य लेखाधिकारी शिक्षा निदेशालय उ0प्र0 इलाहाबाद।

10- भाषा (उर्दू) अनुभाग-4

11- स्वीकृति पंजी।

12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शाहिद अली)
अनु सचिव, (भाषा)

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।